दिनांक–17.01.15 को 11.00 बजे पूर्वाहन में श्री अभय कुमार सिंह,(भा0प्र0से0), जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना/सभी अंचल अधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के साथ विकास संबंधित एवं अन्य कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार यथा संधारित ।

बैठक की कार्यवाहीः– प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी/सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी के साथ किए गए समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गएः–

1. लोक सेवा का अधिकार

अनुपालन – श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1.	आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का औचक निरीक्षण	दिनांक 16.12.2014 से 15.01.2015 के बीच सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी वरीय उप समाहर्ता, सभी नोडल पदाधिकारी आर0टी0पी0एस0 एवं आई टी0 मैनेजर के द्वारा दनियावाँ अंचल को छोड़कर सभी प्रखण्ड सह अंचल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड सह अंचल के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने प्रखण्ड सह अंचल का निरीक्षण किया करें।कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद, मसौढी द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने एवं मसौढी में निवास नहीं करने के संबंध में कारणपृच्छा प्राप्त कर इनके एक दिन के वेतन को स्थगित रखने का निदेश स्थापना उप समाहर्ता को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
2.	दैनिक आर0टी0पी0एस0 पंजी के संधारण के संबंध में	आई0 टी0 मैनेजर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि मसौढ़ी एवं मनेर में अंचलाधिकारी द्वारा पंजी पर दैनिक हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अंचलाधिकारी मसौढी एवं मनेर से कारणपृच्छा पूछते हुए एक दिन का वेतन स्थगित करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
3.	कालबाधित आवेदनों की संख्या	दाखिल खारिज के अंतर्गत सर्वाधिक फुलवारीशरीफ में 15 एवं मसौढ़ी में 20 कालबाधित आवेदन पाये गये। साथ ही पेंशन के मामले में सम्पतचक में 09 तथा मसौढी एवं पालीगंज में 5–5 आवेदन कालबाधित पाये गये। जिलाधिकारी द्वारा इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
4.	सु–मोटो अपील दायर करना	दिनांक 16.12.2014 से 16.01.2015 तक सु–मोटो अपील के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी पालीगंज के द्वारा 45, अनुमंडल पदाधिकारी,बाढ़ के द्वारा 121, डी0सी0एल0आर0 दानापुर के द्वारा 59, एवं डी0सी0एल0आर0 बाढ़ के द्वारा 28 अपील दर्ज किये गये है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को कालबाधित आवेदनों के विरूद्ध सु–मोटो अपील करने का निदेश दिया गया।
5.	आर0टी0पी0एस0 अंतर्गत कार्यालय व्यय,ईंधन व्यय हेतु आवंटन की मॉग	आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत अंचल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय व्यय एवं ईंधन आपूर्ति के मद में आवंटन की माँग किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि वे इससे संबंधित आवंटन की मॉग राजस्व शाखा से करें।

2. स्थापना

अनुपालन – श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1.	90 दिनों से पूर्व विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाए।	कुल 18 मामले लंबित है, जिसमें संचालन पदाधिकारी से 11 मामले में समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्राप्त है, शेष 07 मामले में संचालन पदाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। प्राप्त 11 समीक्षात्मक प्रतिवेदन में कार्रवाई की स्थिति निम्न प्रकार है:– 1.आरोपी के कारा बंदी होने के कारण 03 मामले स्थगित। 2. निर्णय हेतु 01 मामला उपस्थापित। 3. निर्णय हेतु 01 मामला पर जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी है। 4. द्वितीय कारणपृच्छा 03 मामले में पूछा गया है। 5. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से समाहर्ता द्वारा असहमति–01 6. 02 मामला अधिरोपित हो गया है, आदेश प्रारूप अनुमोदन होना है।

2.	सेवानिवृत कर्मचारियों को माह के अंत में सेवानिवृत लाभ देयता सुनिश्चित करना।	माह दिसम्बर 2014 में पटना समाहरणालय में आयोजित शिविर में दिनांक 31.12.2014 को से0नि0 29 कर्मियों को सेवान्त लाभ दिया गया। पुनः जनवरी 2015 में दिनांक 31.01.2015 को से0नि0 होने वाले कर्मियों को समाहरणालय में आयोजित शिविर में सेवान्त लाभ देने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	रंगे हाथ पकड़े गये कर्मियों पर कार्रवाई।	जिला स्थापना शाखा का कुल 09 मामला है, जिसमें 04 मामला में आरोपित कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, 05 मामले में आरोपी कर्मी निलंबित है, सभी (05) निलंबितों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।
4.	अनुकम्पा समिति	अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में दिनांक 27.01.2015 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में 74 मामलों में निर्णय लिया गया है।

3. जिला विधि शाखा

अनुपालन :– श्री माधव कुमार सिंह वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र0	बैठक समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0/मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के लंबित मामलों की समीक्षा।	1. जिला/अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के लंबित वादों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने तथा जिला विधि शाखा के लंबित सूची का सही ढंग से मिलान करने का निर्देश दिया गया। 2. सी0डब्लू0जे0सी0 के पॉच से अधिक वाद जिन कार्यालयों में लंबित है उन्हें अविलम्ब तथ्य विवरणी तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं लंबित मामलों को शून्य करने हेतु सूची के साथ स्मारित करने का निदेश दिया गया। 3. सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना जिला को उनके कार्यालय एवं अधीनस्थ अंचल कार्यालयों में लंबित सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 वादों की समीक्षा कर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। 4. मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के लंबित मामलों में शीघ्र जॉच कर जॉच प्रतिवेदन जिला विधि शाखा, पटना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

4. जिला प्रोग्राम कार्यालय

अनुपालन :– श्री गोपाल प्रसाद केशरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना।

क्र0	बैठक में समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1.	आँगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता।	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। समीक्षा के दौरान अंचलाधिकारी, पटना सदर को छोड़कर पटना जिला के अन्य अंचलाधिकारी द्वारा कुल 665 भूमि चिन्हित कराया गया। सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि चिन्हित कराये गये भूमि से संबंधित पूर्ण विवरणी (अनापति प्रमाण–पत्र के साथ) दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें ताकि भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सके।
2.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से निम्नलिखित प्रतिवेदन अपेक्षित है :– 1. BTC Form 42A भेजे गए सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा वापस कर दिया गया है। 2. निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक–1983 दिनांक 30.09.2014 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 2483 दिनांक 15.11.2014 द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रेषित है द्वारा BTC Form 42A के साथ विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना है, जो अबतक अप्राप्त है। 3. प्रत्येक महीने में जिलाधिकारी, पटना द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की जाती है। इसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मासिक प्रतिवेदन हर महीने के 2 तारीख को उपलब्ध कराना होता है, लेकिन कुछ हीं प्रखण्डों द्वारा प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराया जाता है। 4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी प्रखंडो को राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 समाप्ति पर है, इस वर्ष में आर0टी0पी0एस0 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों कक निष्पादन की स्थिति एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की मांग से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर भेजने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।
3.	सेविका/सहायिका चयन मुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन	ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन मुक्ति से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने के कारण जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए, उप विकास आयुक्त,पटना को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना का एक दिन का वेतन अवरूद्ध करने का निदेश दिया गया।

5. जिला जन शिकायत कोषांग

अनुपालन :– वरीय उप समाहर्ता, जिला जन शिकायत कोषंग, पटना।

क्र०	बैठक मे समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	विभिन्न कार्यालयों तथा अनुमण्डल,भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों द्वारा दिनांक 10.12.14 से दिनांक 16.1.15 तक निष्पादित जन शिकायत संबंधी मामलों की संख्या की समीक्षा।	1. मुख्यमंत्री जन शिकायत के निष्पादन संबंधी समीक्षा में अधिकांश कार्यालयों द्वारा उक्त कार्यावधी में कुछ न कुछ निष्पादन बताए गए एवं लंबित मामलों की संख्या की जानकारी देते हुए इसका शीघ्र निष्पादन करने का आवश्यक निदेश दिया गया। 2. घोषवरी एवं पण्डारक के अंचलाधिकारी एवं पालीगंज के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पिछले 15 दिनों में एक भी जन शिकायत का निपटारा नहीं किए जाने के लिए उक्त तीनों पदाधिकारियों से कारणपृच्छा की मॉग करते हुए एक दिन का वेतन रोकने का निदेश दिया गया। 3. जिला जन शिकायत के निष्पादन संबंधी समीक्षा में पाया गया कि सभी अनुमण्डल, भू0सु0 उप समाहर्ता, अंचल एवं प्रखण्ड कार्यालयों में कुल 1500 जन शिकायत के मामले लंबित है। इन लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि सीधे उनको जन शिकायत कोषांग से भेजे गये पत्रों के अलावे अनुमण्डल पदाधिकारी,भू0सु0 उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा भेजे गये परिवाद पत्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर जॉच कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। समीक्षा में पाया कि अंचलाधिकारी,पंडारक के कार्यालय में जिला जनता दरबार से संबंधित 14 मामले लंबित है लंबित मामलों के संबंध में अंचलाधिकारी,पंडारक से कारण पृच्छा की मॉग करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

6. जिला कल्याण

अनुपालन :– श्री पवन कुमार मिश्रा जिला कल्याण पदाधिकारी,पटना।

क्र०	बैठक मे समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
1	छात्रवृति	वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति/ पिछडी जाति/मुशहर जाति प्री–मैट्रिक छात्रवृति मद में जिला शिक्षा पदाधिकारी के मॉग पत्र के विरूद्व विद्यालयों में राशि का अंतरण आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दी गई है। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 06 जनवरी 2015 से 22 जनवरी 2015 के बीच सभी प्रखण्डों में चल रही छात्रवृति वितरण समारोह की मोनिरिटरिंग करेगें।
2	सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड योजना	जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के कुल लक्ष्य 92 के विरूद्व 56 स्थलों पर वर्कशेड योजना का कार्यादेश एवं अग्रिम निर्गत किया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड स्थित निर्माणाधीन सामुदायिक भवन–सह– वर्कशेड का भौतिक निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगे। साथ ही जिन प्रखण्डों से भूमि अनापति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है संबंधित अंचलाधिकारी नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगे।
3	ए0सी0/डी0सी0 बिल	संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला के ई–मेल पर लंबित डी0सी0 बिल की सूची उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अविलम्ब डी0सी0 बिल समायोजित कराना सुनिश्चित करें। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का 11 लाख राशि का डी0सी0 विपत्र लंबित है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना सदर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर को लंबित डी0सी0 बिल समायोजित कराने का निदेश दिया गया।

7. जिला आपदा शाखा

अनुपालन :– श्री मुकुल कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना।

क्र०	बैठक मे समीक्षा की बिन्दु	दिए गए निदेश
01	ए0सी0/डी0सी0 बिल	समीक्ष के क्रम में लंबित ए0सी0 विपत्र सं0–135/09 राशि 100000/– रूपये के बारे में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोकामा को एक सप्ताह में समायोजित करने का निदेश दिया गया।